

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश:—

निम्नांकित प्राध्यापक, जीव विज्ञान (स्कूल शिक्षा) का विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति—निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती है:—

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा का कारण व अवधि	विदेश का नाम जहाँ यात्रा करनी है
1	श्रीमती रईसा हुसैन राउमावि भैंसरोड़, चित्तौड़गढ़	पुत्र के विवाह सम्बन्ध में (अवधि दिनांक 27.10.2019 से 15.11.2019 तक)	कैन्या
2	श्रीमती रश्मि जैन सेठ श्री हीराभाई परीख राबाउमावि रामगंजमण्डी कोटा	भ्रमण करने हेतु (अवधि दिनांक 26.09.2019 से 01.10.2019)	दुबई (यू.ए.ई)

- विदेश यात्रा के दौरान किसा प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
- विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- विदेश से भेजा गया " त्यागपत्र " स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से इन्हे कोई विदेशी मद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
- यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
- (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जाये उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
(ब) कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
(स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हो।
(द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तान्तरणपूर्ण रूप से कर दिया गया है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमंक :-शिविरा-ना/संस्था/सी-4/रजीगृ/विदेश यात्रा अनुमति/यो.2/2019-20

दिनांक:- 15/10/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, कोटा।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, कोटा।
- प्रधानाचार्य सेठ श्री हीराभाई परीख राबाउमावि रामगंजमण्डी कोटा।
- कार्मिक श्रीमती रश्मि जैन सेठ श्री हीराभाई परीख राबाउमावि रामगंजमण्डी कोटा।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
- निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर